Admission and Fee Regulatory Committee
Government of Uttar Pradesh

AFRC

प्रवेश और फीस नियमन समिति उत्तर प्रदेश
प्राविधिक शिक्षा विभाग, लखनऊ।
संख्या-2017 -/प्र0फी0नि0स0/मा0शु0/2020
दिनांक 17 फरवरी, 2020
कार्यालय आदेश

GHANSHYAM BINANI ACADEMY OF MANAGEMENT SCIENCES, MIRZAPUR(कोड 076) आपके डिग्री स्तरीय अभियन्त्रण संस्थान हेतु समिति की बैठक दिनांक 14.11.2019 में लिये गये निर्णयानुसार समिति द्वारा निर्धारित मानक शुल्क शैक्षिक सत्र 2020-21 (एक वर्ष) के लिए अनुमन्य करते हुए अधिनियम-2006 एवं विनियमावली-2015 के अनुपालन में समिति कार्यालय के आदेश संख्या-1961/प्र0फी0नि0स0/2019 दिनांक 26 नवम्बर, 2019 द्वारा शैक्षिक सत्र 2020-21 (एक वर्ष) के लिए मानक शुल्क निर्धारित किया गया।

2. उक्त आदेश दिनांक 26 नवम्बर, 2019 के बिन्दु-03 में दिये गये निर्देशानुसार संस्थान को समिति की वेबसाइट www.afrcup2018.in पर पंजीकरण करते हुए मानक शुल्क के सम्बंध में अपनी आनलाईन सहमति/असहमति व्यक्त करनी थी, परन्तु आपके संस्थान द्वारा मानक शुल्क को स्वीकार/अस्वीकार किये जाने के सम्बंध में कोई भी प्रतिकिया व्यक्त नहीं की गयी, जो इस बात का घोतक है कि आपके संस्थान को समिति कार्यालय द्वारा निर्गत आदेश संख्या-1961/प्र0फी0नि0स0/2019 दिनांक 26 नवम्बर, 2019 द्वारा निर्धारित मानक शुल्क स्वीकार्य है। उक्त आदेश दिनांक 26 नवम्बर, 2019 के बिन्दु-05 में स्पष्ट निर्देश दिये गये है कि "ऐसे संस्थान जिनके द्वारा न तो मानक शुल्क की सहमति प्रदान की गई है और न ही मानक शुल्क से इतर शुल्क निर्धारण हेतु 30 दिन के अन्दर प्रत्यावेदन दिया है, उन संस्थानों के सम्बंध में यह मान लिया जायेगा कि उन्हें समिति द्वारा निर्धारित मानक शुल्क स्वीकार्य है"।

3. समिति की दिनांक 05.02.2020 को आहूत बैठक में आदेश दिनांक 26 नवम्बर, 2019 के बिन्दु-5 के आलोक में लिये गये निर्णयानुसार आपके संस्थान हेतु समिति कार्यालय के आदेश संख्या-1961/ प्र0फी0नि0स0/2019 दिनांक 26 नवम्बर, 2019 द्वारा निर्धारित मानक शुल्क शैक्षिक 2020-21 (एक वर्ष) के लिए अनुमन्य किया गया है, जो निम्नवत् है:-

निजी क्षेत्र की डिग्री स्तरीय अभियन्त्रण एवं व्यावसायिक संस्थाओं हेतु-

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	निर्धारित मानक शुल्क (रूपये में) 2020-21 हेतु
01	बी०टेक०	55000.00
02	बी०फार्मा०	63300.00
03	बी०आर्क०	57730.00
04	बी०एफ०ए०	85250.00
05	बी०एफ०ए०डी०	85250.00
06	बी०एच०एम०सी०टी०	70000.00
07	एम०बी०ए०	59700.00
08	एम०सी०ए०	55000.00
09	एम०फार्मा०	68750.00
10	एम०आर्क०	57500.00
11	एम०टेक०	57500.00

4.समिति द्वारा निर्धारित शुल्क की सूचना समिति की अधिकृत वेब-साइट www.afrcup2018.in पर प्रदर्शित है तथा संस्था द्वारा भी इस आदेश की प्रति प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर निर्धारित शुल्क की सूचना अपनी अधिकृत वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा।

5. किसी भी संस्थान द्वारा समिति द्वारा निर्धारित शुल्क से भिन्न कोई भी शुल्क छात्रों से नहीं लिया जायेगा। समिति को यदि यह समाधान हो जाता है कि किसी संस्थान द्वारा समिति द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लिया गया है या अधिनियम-2006, विनियमावली-2015 में दिये गये व्यवस्था या उसके किसी उपवन्ध का अतिक्रमण किया गया है तो समिति विनियमावली-2015 के बिन्दु-11 में दी गयी व्यवस्थानुसार संस्था के विरूद्ध शास्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति उपयुक्त संविधिक निकाय/राज्य सरकार को करेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by FAJLUR RAHMAN K
Date: 2020.02.19 15:57:34 +05:30
Reason: F.R.KHAN, AFRC
Location: LUCKNOW

(एफ०आर०खान०)
सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. कुल सचिव, डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।
2. उप सचिव, प्राविधिक शिक्षा, अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
3. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, कानपुर।